वित्तीय स्वीकृति

संख्या-4 /122/52-4-2023-बजट(14)/2017

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव/कार्यपालक अधिकारी,

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति,

लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 28 मार्च, 2023

विषयः- हज 2022 में खादिमुल हुज्जाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, उ0प्र0 राज्य हज समिति के कर्मचारियों की ई0पी0एफ0ओ0 को भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-5245/अ0स0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि0/ 2022-23, दिनांक 22.02.2023, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में हज, 2022 में हज यात्रियों की सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय एवं उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कर्मचारियों हेतु ई0पी0एफ0ओ0 को भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से संबंधित मुख्य लेखाशीर्षक- 2202- सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-अरबी पाठशालाओं को अनुदान-31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-94462.36 लाख के सापेक्ष रू0-6487.46 लाख की बचत संभावित है।

3- मुख्य लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-अरबी पाठशालाओं को अनुदान-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-86662.72 लाख के सापेक्ष संभावित बचतों में से हज यात्रियों की सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय रू0-98.72650 (रू0 अठठानबे लाख बहत्तर हजार छः सौ पचास मात्र) एवं उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कर्मचारियों के

http://shasanadesh.up.gov.in

ई0पी0एफ0ओ0 को भुगतान किये जाने हेतु रू0- रू0-131.00 लाख (रू0 एक करोड इक्तीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 229.72650 लाख (दो करोड़ उन्तीस लाख बहत्तर हजार छः सौ पचास मात्र) अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान संख्या-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रू0-98.72650 एवं हेतु लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान संख्या-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्था की गयी है। (संलग्न)

अत: खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय रू0-98.72650 (रू0 अठठानबे लाख बहत्तर हजार छ: सौ पचास मात्र) एवं उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कर्मचारियों के ई0पी0एफ0ओ0 को भुगतान किये जाने हेतु रू0- रू0-131.00 लाख (रू0 एक करोड इक्तीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 229.72650 लाख (दो करोड़ उन्तीस लाख बहत्तर हजार छः सौ पचास मात्र) आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नही किया जायेगा।

(2) हज यात्रियों की सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने हेतु भुगतान किया जायेगा एवं उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कर्मचारियों के ई0पी0एफ0ओ0 को भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नही किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च, 2023 की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाॅटमेंन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नही देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अतः व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों/शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-अरबीपाठशालाओं को अनुदान-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में बचत धनराशि को अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक व्यय-00-800-अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) एवं मद संख्या-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा, से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-122(1)/52-4-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल।
7- अनुभाग अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in